

76

POSSESSION NOTICE

[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas

The undersigned being the authorized officer of the **Punjab National Bank, Branch Tilak Road, Dehradun** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated **27/04/2021** Calling upon the Borrowers **Mr. Sunil Arora S/o Mr. Hari Chand Arora & Mrs. Reena Arora W/o Mr. Sunil Arora** and Guarantor **Mrs. Neha Katatria W/o Late Sh. Deepak Kataria** and Mortgagor **Mrs. Reena Arora W/o Mr. Sunil Arora** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 27,41,110 (Rupees Twenty Seven Lakh Forty One Thousand One Hundred Ten Only)** as on **31/03/2021** with interest calculated Upto **01/04/2021**.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 18th Day of November of the year **2021**.

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Punjab National Bank, Branch Tilak Road Dehradun** for an amount of **Rs. 27,41,110 (Rupees Twenty Seven Lakh Forty One Thousand One Hundred Ten Only)** as on **31/03/2021** with interest calculated Upto **01/04/2021**.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that Property bearing Municipal No.324 (New No. 53) Block III Situated at Khurbura Dehradun Area Measuring 2100 sq. ft or 195.09 s. mter out of which 109.90 sq. meter.

Bounded

East	Property of Mewa Ram, Side Measuring 35 ft and 9 inches
West	Road, Side Measuring 29 ft and 9 inches
North	Property Bhagwan Dei Side Measuring 65 ft and 7 inches
South	Land Three After property of Arun Kohli Side measuring 62 ft. 3 inches

PLACE :

Dehradun

DATE :

11/11/2021

Punjab National Bank

Authorized Officer
under
The Security Interest (Enforcement) Rules-2002
AUTHORISED OFFICER
Punjab National Bank
Circle SASTRA, Circle Office, Dehradun-West

क्र. 69879
36

विक्रय पत्र हेतु वांछित विवरण

1	मालियत विक्रय पत्र	:	रु. 38,00,000 /-
2	सरकारी मूल्यांकन सूची अनुसार मूल्यांकन	:	रु. 19,52,000 /- 9
3	भुगतान विधि	:	नगद, चैक तथा बैंक ड्राफ्ट द्वारा।
4	सर्किल रेट	:	रु. 6500 /- (विलेख में दर्शाये अनुसार)
5	कुल स्टाम्प शुल्क देय	:	1,19,500 /- + 2,500% = 1,22,000 /- 122000
6	मुख्य क्षेत्र	:	खुडबुडा मौहल्ला (Signature)
7	क्षेत्र	:	नगर निगम की सीमा के अन्दर है।
8	सम्पत्ति व उसका प्रकार	:	सम्पूर्ण सम्पत्ति संख्या 324 (नया नम्बर 53) ब्लॉक 3, स्थित खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग फीट व 195.09 वर्ग मीटर जिसमें निर्मित क्षेत्र 109.090 वर्ग मीटर है।
9	मुख्य मार्ग से दूरी	:	विक्रीत सम्पत्ति मुख्य कांवली रोड से लगभग 400 मीटर से अधिक अन्दर तथा सहारनपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक खुडबुडा मौहल्ला में स्थित है।
10	विक्रेता का नाम व पता	:	श्री नितिन वर्मा पुत्र श्री महेन्द्र वर्मा निवासी 2761 गली आर्य समाज बाजार सीताराम, दिल्ली 110006 (PAN- ACXPV0879M) ✓
11	क्रेता का नाम व पता	:	श्रीमती रीना अरोडा पत्नी श्री सुनील अरोडा निवासिनी 405 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून (PAN-AHKPA1554G) ✓
12	कुल पृष्ठों की संख्या	:	21 मानचित्र सहित (Twenty two)
13	रचयिता का नाम	:	प्रशान्त कुमार सिंघल, एडवोकेट

(Signature)

(Signature)

रु. 10000



Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

A 385766

75766



विक्रय पत्र



यह विक्रयपत्र आज दिनांक 6 दिसम्बर वर्ष 2013 ई० को स्थान देहरादून में श्री नितिन वर्मा पुत्र श्री महेन्द्र वर्मा निवासी 2761 गली आर्य समाज बाजार सीताराम, दिल्ली 110006 (जिन्हें इस विलेख में आगे चलकर सुगमता, सुविधा व संक्षिप्तता की दृष्टि से शब्द 'विक्रेता' से सम्बोधित किया गया है और जिस शब्द के अन्तर्गत जब तक कि सन्दर्भ द्वारा विपरीत आशय न प्रकट हो, उनके समस्त वैधानिक उत्तराधिकारियों, हित प्रतिनिधियों अन्तरितियों, स्थानापन्नो आदि का भी समावेश है व सदैव समझा जाएगा)

द्वारा

श्रीमती रीना अरोडा पत्नी श्री सुनील अरोडा निवासिनी 405 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून (जिन्हें इस विलेख में आगे चलकर सुगमता, सुविधा व संक्षिप्तता की दृष्टि से शब्द 'क्रेता' से सम्बोधित किया गया है और जिस शब्द के अन्तर्गत जब तक कि सन्दर्भ द्वारा विपरीत आशय न प्रकट हो, उनके समस्त वैधानिक उत्तराधिकारियों हित प्रतिनिधियों, अन्तरितियों, स्थानापन्नो आदि का भी समावेश है व सदैव समझा जाएगा) के पक्ष में निम्नानुसार अंकित व निष्पादित किया गया।

[Signature]

[Signature]



UTTARAKHAND

A 385776

A 385776

2013

विदित हो कि सम्पूर्ण सम्पत्ति संख्या 324 (नया नम्बर 53) ब्लाक 3, खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून के स्वामी श्री इन्द्रजीत शर्मा पुत्र स्व० श्री बोधराज शर्मा, श्री सचिन शर्मा एवं श्री सन्दीप शर्मा पुत्रगण श्री इन्द्रजीत शर्मा सभी निवासीगण 106 मन्नूगंज, देहरादून संयुक्त रूप से थे। उक्त सम्पत्ति उपरोक्त क्रैंतागण ने पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17-07-2003 ई. द्वारा, जिसका निबन्धन कार्यालय उच्च-निबन्धक देहरादून के यहां बही संख्या 1 की जिल्द संख्या 963 के पृष्ठ 523 ए0डी0फा0 बुक नं० 1 जिल्द 1316 के पृष्ठ 633 से 644 पर क्रमांक 3887 पर दिनांक 21-07-2003 को हुआ, इसके पूर्व स्वामी श्री हरीश कुमार वाधवा, श्रीमती कमिनी देवी, श्रीमती सीमा देवी एवं श्री पविन्द्र कुमार वाधवा से क्रय की थी तथा सम्पत्ति क्रय करने के उपरान्त श्री इन्द्रजीत शर्मा व उनके दोनों पुत्रों, श्री सचिन शर्मा व श्री सन्दीप शर्मा का नाम सम्बन्धित नगर निगम अभिलेखों में संयुक्त स्वामी के रूप में अंकित हुआ और—



A 409812

A 409812

विदित हो कि उपरोक्त श्री इन्द्रजीत शर्मा ने जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि० से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी जिसके पुर्न भुगतान की सुरक्षा में उपरोक्त सम्पत्ति उक्त बैंक में सामायिक रूप से सम्पत्ति का स्वामित्व विलेख जमा करा कर बन्धक रखी गई थी जो बन्धक चली आती रही और—

Ramesh



उत्तराखण्ड

A 385012

A 385012

कोर्ट ऑफ़ दिसी
अदालत, देहरादून

DEC 2013

दिसा
सं. ७७१

विदित हो कि उक्त श्री इन्द्रजीत शर्मा द्वारा जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किया जा सका जिस कारण उक्त बैंक द्वारा ऋण खाते में शेष प्राप्तव्य राशि की वसूली हेतु उक्त सम्पत्ति SARFAESI ACT 2002 के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा निलामी में विक्रेता के सबसे उंची बोली दाता होने के कारण उन्हें विक्रय की गई और उक्त बैंक द्वारा विक्रेता के पक्ष में विधिवत् विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 05.09.2013 अंकित व निष्पादित किया गया जिसका निबन्धन कार्यालय उप निबन्धक देहरादून के यहा बही सं० 1 की जिल्द 5361 के पृष्ठ 179 से 210 पर क्रमांक 7840 पर दिनांक 05.09.2013 को हुआ और—

(Signature)

(Signature)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 385257

A 385257

विदित हो कि इस प्रकार विक्रेता उक्त सम्पत्ति के एकमात्र मालिक स्वामी
सम प्रकार के हस्तान्तरण आदि अधिकारों सहित है उनके द्वारा उक्त सम्पत्ति का
नामान्तरण अपने पक्ष में किये जाने हेतु आवश्यक नामान्तरण प्रार्थना पत्र नगर
निगम देहरादून में प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन है और —————

[Signature]

[Signature]

विशेष न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

30

रु.
10000

Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

UTTARAKHAND

A 385700

A 385700

2013
001

विदित हो कि विक्रेता की इच्छा अपनी उक्त स्वामित्व सम्पत्ति, को विक्रय करने की रही है जिसकी जानकारी होने पर क्रेता द्वारा विक्रेता के सम्मुख उक्त सम्पत्ति, जिसका यथासम्भव एवम् पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है, इसकी उचित कीमत मु० 38,00,000/- (अड़तीस लाख रुपये) विक्रय मूल्य के प्रतिफल में क्रय करने की इच्छा व्यक्त की गयी जिसे विक्रेता द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। अतः यह विक्रयपत्र विक्रेता द्वारा उपरोक्त क्रेता के पक्ष में निम्न शर्तों व नियमों के अन्तर्गत अकिंत व निष्पादित किया जा रहा है जिन शर्तों व नियमों का दोनों पक्ष, उनके अपने-अपने वैधानिक उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि सादर पालन करने हेतु सदैव आबद्ध रहेंगे :-

[Signature]

[Signature]



UTTARAKHAND

A 385497

A 385497

अतः यह विलेख निम्न व्यवस्थाओं का साक्षी है :-

1. विक्रय की गयी सम्पत्ति का कुल विक्रय मूल्य मु० 38,00,000/- (अड़तीस लाख रुपये) मात्र विक्रेता को क्रेता से इस विक्रयपत्र के निबन्धन हेतु प्रस्तुति के समय तक निम्नानुसार चुकता प्राप्त हो गये हैं :-
 - (क) रु० 50,000/-रुपये नकद प्राप्त
 - (ख) रु० 1,00,000/-रुपये द्वारा चैक सं० 178214 दिनांक 09.09.2013 पी०एन०बी० शाखा तिलक रोड, देहरादून द्वारा
 - (ग) रु० 1,00,000/-रुपये द्वारा चैक सं० 178215 दिनांक 16.09.2013 पी०एन०बी० शाखा तिलक रोड, देहरादून द्वारा
 - (घ) रु० 35,50,000/-रुपये द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं० 741955 दिनांक 03.12.2013 पी०एन०बी० शाखा तिलक रोड, देहरादून द्वारा



यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रेता द्वारा उक्त सम्पत्ति क्रय करने हेतु पी0एन0बी0 की तिलक रोड शाखा से 28,00,000/- रुपये गृह ऋण रूप में प्राप्त किये गए हैं तथा क्रेता की ओर से उक्त बैंक द्वारा ऋण राशि सम्मिलित करते हुए उक्त बैंक ड्राफ्ट विभाग के पक्ष में जारी किया गया है।

इस प्रकार विक्रेता को क्रेता की ओर से कुल विक्रय मूल्य राशि आज इस विक्रय पत्र के निबन्धन हेतु प्रस्तुति के समय तक विक्रेता को चुकता रूप में प्राप्त हो गयी है जिसकी प्राप्ति विक्रेता को एतद्वारा स्वीकार है। विक्रय मूल्य के प्रतिफल में विक्रेता ने नीचे सूची में वर्णित सम्पत्ति, जिसका यथासम्भव एवं पूर्ण विवरण इस विक्रयपत्र के अन्त में व इस विलेख के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रंग की रेखाओं से घेरकर दर्शाया गया है, क्रेता को पूर्ण रूप से विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है। विक्रेता द्वारा क्रेता को आज दिन मौके पर कब्जा दे दिया गया है और उन्हें सम्पत्ति स्वामी के रूप में विक्रीत सम्पत्ति पर काबिज व अध्यासित कर दिया है। जो-जो अधिकार विक्रीत सम्पत्ति में विक्रेता को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव थे, उन सबकी आज से एकमात्र स्वामी व अधिकारी क्रेता हो गयी हैं। क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें, लाभ उठावें, अपनी इच्छानुसार इसमें आवश्यक सुधार संवर्धन, आन्तरिक सज्जा आदि करावें, किराये पर दें अथवा आगे विक्रय बन्धन आदि करें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 385272

A 385272

मुख्य कोषाधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

- 2 DEC 2013

निर्णय दिनांक
2013 सं. 001

2. यह कि विक्रय की गयी सम्पत्ति हर प्रकार के भार बन्धन, कुर्की, रहन, जमानत, वाद-विवादों, अधिग्रहण, नोटिस, डिमाण्ड, पूर्व विक्रय अनुबन्ध, विक्रय, निजी अथवा सरकारी ऋणों अथवा अन्य देनदारियों आदि से पूर्णतया मुक्त एवम् स्वच्छ अवस्था में क्रेता को विक्रय की गयी है।
3. यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि नगर निगम अभिलेखों में एवं अन्य सरकारी विभागों में सम्पत्ति स्वामी के रूप में अपना नाम अंकित करवा लें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।



यदि भविष्य में क्रेता को विक्रेता से विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके स्वामित्व अधिकार की पुष्टि से सम्बन्धित किसी लेख, शपथपत्र अथवा बयान आदि की आवश्यकता होगी तो क्रेता की पूर्व सूचना एवम् उनके व्यय पर विक्रेता ऐसी समस्त कार्यवाही करने हेतु सदैव इच्छुक व तत्पर रहेंगे।

यह कि भविष्य में यदि विक्रेता के स्वामित्व अधिकार में किसी प्रकार का कोई दोष अथवा त्रुटि पाये जाने के कारण विक्रीत सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग क्रेता के स्वामित्व अधिकार, कब्जे व अध्यासन से निकल जावे तो ऐसी स्थिति में उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे निकले हुए भाग, की कुल कीमत अपने समस्त हर्जे-खर्चे सहित विक्रेता से अथवा उनकी अन्य चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार से चाहें, वसूल कर लें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।

11
भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत
रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

A 385326

A 385326

यह कि विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित आज तक के देय कर व मूल्यों आदि के भुगतान करने का पूर्ण उत्तरादायित्व व आभार विक्रेता का है। आज से आगे के देय कर व मूल्यों आदि के भुगतान करने के पूर्ण उत्तरादायी व आभारी क्रेता स्वयं होंगे। यदि उन्हें विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित आज तक का कोई बकाया भुगतान आदि किसी भी विभाग को करना पड़ा तो उन्हें अधिकार होगा कि ऐसी भुगतान की गयी राशि विक्रेता से अथवा उनकी अन्य चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार से चाहें वसूल कर लें जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।

[Signature]

[Signature]

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

730797

7. यह कि विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्तर्गत मुख्य कांवली रोड से लगभग 400 मीटर से अधिक अन्दर तथा सहारनपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक खुडबुडा मोहल्ला में स्थित है। विक्रय की गयी सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल 195.09 वर्गमीटर है, निर्धारित सर्किल रेट रूपए 6500/- प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का अधिकतम मूल्यांकन 12,68,085/- रूपए आता है तथा निर्मित भाग का क्षेत्रफल न्यूनाधिक 109.90 वर्गमीटर है। निर्माण लगभग 25 वर्ष पुराना आर.बी.सी. निर्मित है। निर्धारित सर्किल रेट रूपए 8000/- प्रति वर्गमीटर की दर 25 वर्ष का क्षरण देने के उपरान्त सम्पत्ति का अधिकतम मूल्यांकन रूपए 6,83,138/- रुपये बनता है। इस प्रकार सम्पत्ति का अधिकतम कुल मूल्यांकन 19,51,223/- रूपए अर्थात् 19,52,000/- बनता है, जो पक्षों के मध्य तयशुदा कीमत से कम है। सरकारी मूल्यांकन सूची अनुसार उपरोक्त 19,52,000/- रुपये पर क्रेता महिला होने के कारण 3.75 प्रतिशत की दर से 73200/- रुपये का स्टाम्प शुल्क देय है तथा पक्षों के मध्य निर्धारित विक्रयमूल्य तथा सरकारी मूल्यांकन सूची अनुसार सम्पत्ति के मूल्यांकन के मध्य की अन्तर राशि अर्थात् 18,48,000./- रुपये पर 2.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 46200/- का स्टाम्प शुल्क देय है। इस प्रकार इस विलेख पर कुल 1,19,400/- रुपये का स्टाम्प शुल्क देय है, जो 1,19,500/- अदा किया गया है।

विक्रीत भूमिखण्ड अर्बन लैण्ड सीलिंग अधिनियम की धारा 10(3) व धारा 10(5) व धारा 20 से प्रभावित नहीं है।



नाराखण्ड UTTARAKHAND

A 717690

2 DEC 2013

वांछित विवरण

- अ- विक्रीत सम्पत्ति के विषय में पक्षकारों के मध्य पूर्व में कोई पंजीकृत अनुबन्ध नहीं है।
- ब- विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित नहीं हैं। ✓
- स- विक्रीत सम्पत्ति आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रय की गयी है।
- द- विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत है। ✓
- य- विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम सीमा में स्थित है जिस कारण इस पर उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2003 के प्राविधान लागू नहीं होते।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 136731

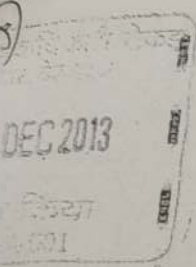
15 DEC 2013

यह कि विक्रीत सम्पत्ति के पश्चिमी ओर सड़क है तथा दक्षिणी ओर गली है जिस कारण सम्पत्ति के कुल सरकारी मूल्यांकन अर्थात् 19,52,000/- के 10 प्रतिशत अर्थात् 1,95,200/- पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क देय है।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 136730



इस प्रकार कुल सरकारी मूल्यांकन अर्थात् 21,47,200/- अर्थात्
21,48,000/- रुपये पर नियमानुसार 80,520/- रुपये का स्टाम्प
शुल्क देय है तथा

22

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIANONJUDICIAL

A 281582

रादूँन

अन्तर की राशि पर 41,300/- स्टाम्प शुल्क देय है तदनुसार कुल 1,21,820/- रुपये का स्टाम्प शुल्क इस विलेख पर देय है जो 1,22,000/- रुपये का अदा किया गया है।

Blank

[Handwritten signature]



विवरण विक्रीत सम्पत्ति

सम्पूर्ण सम्पत्ति संख्या 324 (नया नम्बर 53) ब्लॉक 3, स्थित खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग फीट व 195.09 वर्ग मीटर जिसमें निर्मित क्षेत्र 109.090 वर्ग मीटर है, बिजली-पानी, सैनेट्री फिटिंग्स, चालू संयोजन व सम्पत्ति में लगे अन्य फिक्सचर्स व फिटिंग्स, नीचे की भूमि तथा खुली छत (ओपन टु स्काई) के पूर्ण स्वामित्व अधिकार सहित, जिसको इस विलेख के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रंग की रेखाओं से घेरकर दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं, जिसकी नाप व सीमाएं निम्न प्रकार हैं :-

पूर्व में : सम्पत्ति श्री मेवाराम, सीमा में नाप 35 फिट 9 इंच

पश्चिम में : सड़क, सीमा में नाप 29 फिट 9 इंच

उत्तर में : सम्पत्ति श्रीमती भगवान देई, सीमा में नाप 65 फिट 7 इंच

दक्षिण में : बंद गलीतत्पश्चात सम्पत्ति श्री अरुण कोहली सीमा में नाप 62 फिट 3 इंच

अतः यह विक्रयपत्र उपरोक्त दिनांक व स्थान पर निम्न साक्षीगण के समक्ष शब्द-दर-शब्द पढ़कर व समझकर अकित व निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समानुसार उपयोगी हो। इतिलिखित ।



A 717686

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 2-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स
विक्रेता का नाम व पता :-

श्री नितिन वर्मा पुत्र श्री महेन्द्र वर्मा निवासी 2761 गली आर्य समाज बाजार
सीताराम, दिल्ली 110006

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के
कनिष्ठिका



अनामिका



मध्यमा



चिन्ह :-

तर्जनी



अंगुष्ठ



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :-

अंगुष्ठ



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका



[Signature]

[Signature]



UTTARAKHAND

2013

क्रेता का नाम व पता : - श्रीमती रीना अरोडा पत्नी श्री सुनील अरोडा निवासिनी
405 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :-

कनिष्ठिका



अनामिका



मध्यमा



तर्जनी



अंगुष्ठ



[Signature]

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

Rs. 500

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

INDIAN NON JUDICIAL

A 281326

UTTARANCHAL

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :-

अंगुष्ठ



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठका



हस्ता ०..... विक्रेता
(श्री नितिन वर्मा)

हस्ता ०..... क्रेता
(श्रीमती रीना अरोड़ा)

साक्षी 1. Sh. Satender Tikerni
2. Sh. Ramjansel Tikerni साक्षी 1. Sh. Aditya Borsal
2. Sh. Borken Ku. Borsal
R/o Shalimar Garden, Sahasrabpur R/o 1122 Kucha Hanjwari Sita
Voter No - NTA 1179167 R/o Bagan, Delhi

इस दस्तावेज को मैंने अपने कार्यालय में तैयार कराया तथा निष्पादकगण के फोटो पक्षकारों द्वारा स्वयं सत्यापित किये गये हैं।

(प्रधान कुमार सिंघल) एडवोकेट

मानचित्र

सम्पत्ति संख्या 324 (नया नम्बर 53) ब्लाक 3, स्थित खुडबुडा मौहल्ला, जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग फीट व 195.09 वर्ग मीटर जिसमें निर्मित क्षेत्र 2100 वर्ग मीटर हैं।

श्री नितिन वर्मा पुत्र श्री महेन्द्र वर्मा निवासी 2761 गली आर्य समाज बाजार सीताराम, दिल्ली 110006

श्रीमती रीना अरोडा पत्नी श्री सुनील अरोडा निवासिनी 405 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून

NOT TO SCALE

N ←

सम्पत्ति श्री मेवाराम

35 फिट 9 इंच

65 फिट 7 इंच

62 फिट 3 इंच

बन्द गली

तत्पश्चात् सम्पत्ति श्री अरुण कोहली

29 फिट 9 इंच

सडक

भूतल



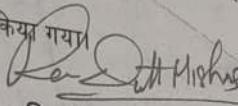
प्रथम तल

[Signature]

हस्ताक्षर क्रेता

बही संख्या 1 जिल्द 5,531 के पृष्ठ 273 से 316 पर क्रमांक
10674

पर आज दिनांक 06 Dec 2013 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

उप-निबंधक, वेदप्रदाता प्रथम

06 Dec 2013

